A-6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
51/अपील/2016	13.06.2016	19.07.2019

रामनिवास, अम्बालाल, रामचरण पिंसरान श्री मोती लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम हिण्डोली, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)
– अपीलांटस

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.03.2016
तहसीलदार, हिण्डोली मि. नं. 980/2016
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलांटस की ओर से – श्री जितेन्द्र कोठारी, अभि0।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नं. 2878, 2879, 2880 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा जो शोजी, बालू आदि की खातेदारी ग्राम हिण्डोली में ईट भट्टा लगाकर अतिक्रमी मानते हुये बेदखली, शास्ती 448/– रूपये तथा 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील अपीलान्टस प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्टस व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि पटवारी हल्का हिण्डोली की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम हिण्डोली की भूमि खसरा नं. 2878, 2879, 2880 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा पर बिना अनुमति के ईट भट्टा लगाकर अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 448/– रूपये शास्ती व 90

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। उक्त निर्णय वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वोपरि पारित किया गया है। अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ईट भट्टा की भूमि खातेदारी भूमि है जिस पर धारा 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो गैर कानूनी रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 की छाया प्रति पेश की गई तथा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायसंगत नहीं है उक्त नियम के तहत 2500 वर्गमीटर तक उसको संपरिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय का निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील के संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस ने खातेंदारी भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये ईट भट्टा लगाया है जो नियम विरूद्व एवं अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं न्यायसंगत है। अपील अपीलांटस खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार व अभिभाषक अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत तर्क पर मनन किया। अपीलांटस का अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का, हिण्डोली की रिपोर्ट पर खसरा नं. 2878, 2879, 2880 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा ग्राम हिण्डोली जो शोजी पिसरान बलदेव, रामकवंरी, बेवा बलदेव वगै. की खातेदारी भूमि पर सम्वत् 2072 फसल रबी में बिना अनुमति के ईट भट्टा लगाने तथा मिसल नं. 452 निर्णय दिनांक 30.03.2015 में बेदखल किये जाने से पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये पेनाल्टी 448/– रूपये तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त भूमि खसरा नं. 2878, 2879, 2880 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा शोजी पिसरान बलदेव, रामकवंरी बेवा बलदेव वगै. की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण मानकर धारा 91 की कार्यवाही धारा 91 के तहत पेनाल्टी व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है क्योकि राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के पेरा 2 के अनुसार 2500 वर्गमीटर तक उसके द्वारा धारित भूमि पर कोई लघु ईट भट्टा स्थापित करना चाहता है, वहां संपरिवर्तन के लिये कोई स्वीकृति लिया जाना जरूरी नहीं है तथा ऐसी भूमि ऐसे लघु ईट भट्टा के लिये संपरिवर्तन की हुई समझी जावेगी। ऐसे संपरिवर्तन के लिये कोई संपरिवर्तन प्रभार सदेय नहीं होगा। धारा 91 की कार्यवाही सिवायचक सरकारी भूमि पर की जाती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी भूमि पर धारा 91 की कार्यवाही कर पैनाल्टी व सिविल कारावास की सजा से अपीलान्टस को दण्डित किया गया है। जो न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्टस

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6/3

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज०)

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)